

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Pauri Garhwal

No. 12/8-LAC-2020

Dated. 20/02/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **7.465 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department** (name of user agency) for Road Construction (Purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of **Kota** village (s) in **Yamkeswar** tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **7.465** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to annexure 4**.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Euc:- As above.

Signature
जिलाधिकारी
District Collector Garhwal
Pauri Garhwal

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PAURI GARHWAL (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. D.S. Garbiyal I.A.S deputy commissioner, Pauri Garhwal on dated 21/2/20 at time 2:00 PM at Pauri in which application claiming rights in area measuring 7.465 hect for the construction of NAUDKHAL MALA KM 7 TO KOTA MOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Yamkeswar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..... Pauri Garhwal
Dated..... 20/02/2020

Deputy Commissioner-Chairman
District Level Committee

It is further Certified that- Minutes of Meeting of Construction of Naudkhal Mala Km 7 to Kota Motor Road 12.05 KM Stage I Under PMGSY Regarding FRA is as following:

Ser. No.		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 7.465 hectares of forest area proposed for division. A copy of record of all consultations and meeting of the forest right committee(s), Sub Divisions Level committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitations belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objections certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(C)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
पौड़ी गढ़वाल

जिला पंचायत सदस्य
पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
Dy. Director
Rajaji Tiger Reserve
Dehradun

अधिशाली अभियंता
पी० एम० जी० एस० वाई० वर्क्स दुगड्डा
पौड़ी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र 23.2

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल माला कि०मी० 07 से कोटा मोटर मार्ग विकासखण्ड यमकेशवर तहसील यमकेशवर की भूमि अधिग्रहित।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, यमकेशवर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, यमकेशवर

उपखण्ड यमकेशवर परिक्षेत्र के अन्तर्गत नोडखाल माला कि०मी० 07 से कोटा मोटर मार्ग (1.05 हे० आरक्षित वनभूमि, 6.415 हे० सिविल सोयम भूमि, 4.500 हे० नाप भूमि) अर्थात् कुल 7.465 हे० वनभूमि का पी०एम०जी०एस०वाई० दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील यमकेशवर) की दिनांक 05/01/20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 22.22.2011, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री रवि.रुद्र.यण उपजिलाधिकारी ————— उप जिला अधिकारी यमकेशवर, पौड़ी गढ़वाल ————— अध्यक्ष
 - 2- श्री एल.पी.टि.हा उप प्रभागीय वनाधिकारी ————— वन्य जीव प्रतिम सदस्य
 - 3- श्री कुलीप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी ————— सदस्य / सचिव
 - 4- श्री मनोज सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र ————— सदस्य
- सदस्य- क्षेत्र पंचायत कोटा
वि० 20- यमकेशवर (पौड़ी गढ़वाल)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नोडखाल माला कि०मी० ०७ से कोटा मोटर मार्ग परियोजना हेतु 7.465 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० एन०पीसी०सी० दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वनप्रभाग यमकेशवर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड यमकेशवर परिक्षेत्र के अन्तर्गत नोडखाल माला कि०मी० ०७ से कोटा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 7.465 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० एन०पीसी०सी० दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— यमकेशवर
जनपद— पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— यमकेशवर
जनपद— पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :-जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल माला कि०मी० 07 से कोटा मोटर मार्ग विकासखण्ड यमकेशवर तहसील यमकेशवर की भूमि अधिग्रहित।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम माला

तहसील यमकेशवर, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

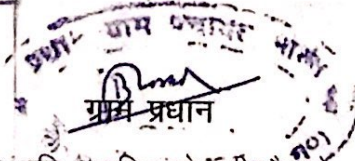
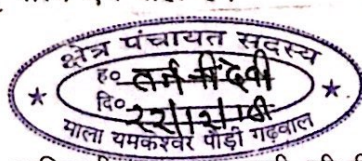
जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में नोडखाल माला कि०मी० 07 से कोटा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.05 हे० आरक्षित वनभूमि, 6.415 हे० सिविल सोयम भूमि, 4.500 हे० नाप भूमि) अर्थात् कुल 7.465 हे० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत माला द्वारा दिनांक 22-12-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि माला के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि 7.465 हे० प्रयोक्ता ऐजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 22-2-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

माला ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गुडडी देवी	
2		
3	श्री. लालवीर सिंह रावत	
4	श्री. गुरुदेव सिंह रावत	
5	मंगली देवी	
6	श्री. अमर सिंह	
7		
8		
9	महिपाल चन्द	महिपाल चन्द
10	शशनी देवी	शशनी देवी
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

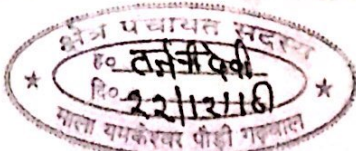
गुडडी देवी
17/4/18
जगागाट

दिनांक 22.12.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

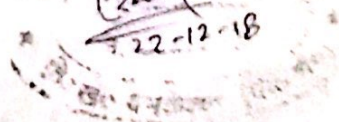
ग्राम पंचायत माला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बलवीर सिंह नेगी पु. पंचायत बसाही (माला)	बलवीर सिंह
2	" जगदीश सिंह नेगी बसाही (माला)	जगदीश सिंह
3	" हरिन्द सिंह नेगी बसाही (माला)	हरिन्द सिंह
4	" रविन्द सिंह नेगी बसाही (माला)	रविन्द सिंह
5	महवीर सिंह नेगी बसाही माला	महवीर सिंह
6	मुसा लो सिंह रावल सेरा माला	मुसा लो सिंह
7	सुरेन्द्र सिंह नेगी सेरा माला	श्री सुरेन्द्र सिंह
8	श्रीम सिंह नेगी सेरा माला	श्रीम सिंह
9	उल्लान सिंह नेगी " "	उल्लान सिंह
10		
11	वदरी सिंह नेगी " "	वदरी सिंह
12	भाईपाल चन्द	भाईपाल चन्द
13		
14	अमर सिंह नेगी " "	अमर सिंह
15	अमलान सिंह नेगी " "	अमलान सिंह
16	साधना सिंह रावल " "	साधना सिंह
17	श्रीमान सुन्दर शर्मा माला अमर माला अमर माला	श्रीमान सुन्दर शर्मा
18		
19	गङ्गा सिंह रावल पलाखाल माला	गङ्गा सिंह
20		
21	सुरेन्द्र सिंह रावल " "	सुरेन्द्र सिंह
22	भाईपाल सिंह नेगी " "	भाईपाल सिंह
23		
24	अमर सिंह नेगी " "	अमर सिंह
25	सतेन्द्र सिंह बिष्ट (मुडांग)	सतेन्द्र सिंह
26	उमानन्द सिंह बिष्ट (मुडांग)	उमानन्द सिंह
27	भैरवान सिंह बिष्ट (मुडांग)	भैरवान सिंह
28	जवहर सिंह बिष्ट (मुडांग)	जवहर सिंह
29	दामोदर सिंह रावल (मुडांग)	दामोदर सिंह
30		
31	जान्ता देवी बिष्ट (मुडांग)	जान्ता देवी
32	मुन्डी देवी बिष्ट (मुडांग)	मुन्डी देवी
33		
34	अमर सिंह नेगी बसाही	अमर सिंह
35	सुनीता देवी उ.प. माला पलेलगाँव सुनीता देवी	सुनीता देवी

D:\B DEPARTMENT FOLDER\PMGSY URRDA\HINDI LETTERS FOLDER\NAUDKHAL MALA TO KOTAR ROAD.....DOCX



ग्राम सभा की उपस्थिति
दिनांक 22/12/18
स्थान-ग्राम पंचायत, कोटार रोड



परियोजना का नाम :-जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित नोडखाल माला कि०मी० 07 से कोटा मोटर मार्ग विकासखण्ड यमकेशवर तहसील यमकेशवर की भूमि अधिग्रहित।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोटा

तहसील यमकेशवर, जिला पौड़ी गढवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

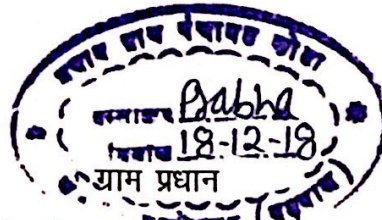
जिला पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में नोडखाल माला कि०मी० 07 से कोटा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.05 हे० आरक्षित वनभूमि, 6.415 हे० सिविल सोयम भूमि, 4.500 हे० नाप भूमि) अर्थात् कुल 7.465 हे० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटा द्वारा दिनांक 18/12/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि कोटा के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि 7.465 है० प्रयोक्ता ऐजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


कोटा
ग्राम सचिव
सरस्वती देवी
सदस्य, क्षेत्र पंचायत-कोटा



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी को निजी भूमि प्रभावित हो रहा है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

